



2026: AHC: 33137-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 29325/2025

देवेन्द्र स्वरूप एवं 5 अन्य याचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य प्रतिवादीगण

याची के अधिवक्ता: आशुतोष सिंह, सुमंत राय

प्रतिवादी के अधिवक्ता: अजातशत्रु सिंह, जी.ए. (शासकीय अधिवक्ता), हिमांशु मिश्रा

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचियों के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. (अपर शासकीय अधिवक्ता), प्रतिवादी संख्या-4 के विद्वान अधिवक्ता श्री हिमांशु मिश्रा को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. शुरुआत में ही, याचियों के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष यह बयान दिया है कि प्रस्तुत मामले में विवेचना (जांच) पहले ही पूरी हो चुकी है और याचियों के विरुद्ध आरोप-पत्र (चार्जशीट) प्रस्तुत किया जा चुका है। अतः, वे इस रिट याचिका पर आगे दबाव नहीं डालना चाहते हैं और उचित स्तर पर उचित मंच (फोरम) के समक्ष जाने की स्वतंत्रता के साथ इसे वापस लेना चाहते हैं।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. प्रतिवादी संख्या-4 के विद्वान अधिवक्ता और साथ ही विद्वान ए.जी.ए. को उपरोक्त प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।
4. दिए गए बयान के आलोक में, यह रिट याचिका उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लिए जाने के आधार पर खारिज की जाती है।

13 फरवरी, 2026

के.एस.

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"